उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 12वीं बोर्ड बैठक दिनांकः 09 अगस्त, 2019 का कार्यवृत

मा0 आवास मंत्री/मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में 12वीं बोर्ड बैठक, दिनांकः 09.08.2019 को राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्पलैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून स्थित राज्य प्राधिकरण के सभागार में आयोजित की गई।

उपस्थितिः–

1. श्री नितेश कुमार झा, सचिव आवास/मुख्य प्रशासक, उडा।
2. श्री आशीष जोशी, प्रभारी सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री दिलीप जावलकर, सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री भूपेश तिवारी, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री उमेश नारायण पाण्डेय, अपर सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री आर0 के0 तोमर, संयुक्त सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्री दिनेश वर्मा, संयुक्त निदेशक, नियोजन विभाग।
9. श्री टी0 लेप्चा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक (प्रभारी), नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।

अन्य उपस्थितिः–

1. श्री सुनीलश्री पांथरी, अपर मुख्य प्रशासक, उडा।
2. श्री बंशीधर तिवारी, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उडा।
3. श्री आलोक कुमार पाण्डेय, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उडा।
4. श्री पी0सी0 खरे, वित्त नियंत्रक, उडा।
5. श्री एन0एस0 रावत, मुख्य अभियन्ता उडा।
6. श्री अनिल कुमार त्यागी, अधीक्षण अभियन्ता, उडा।
7. श्री एस0एम0 श्रीवास्तव, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
8. श्रीमती शालु थिण्ड, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
9. श्री सर्वेश मित्तल, अधिशासी अभियन्ता, उडा।
10. श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय, कार्यक्रम प्रबन्धक, उडा।

सर्वप्रथम मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 12वीं बोर्ड बैठक प्रारम्भ की गयी, जिसमें 11वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन पर चर्चा की गयी और निर्णयों की पुष्टि के उपरान्त विभिन्न विषयों पर निम्नानुसार निर्देशित किया गयाः–

1. विषय क्रमांक–03 पर बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि वित्त विभाग की सहमति हेतु आवास विभाग से पुनः अनुरोध एवं प्रकरण का अनुश्रवण किया जाए तथा शासन की सहमति प्राप्त होने पर निविदा आमंत्रित करते हुए कार्यवाही सम्पन्न की जाए।
2. विषय क्रमांक–05 पर बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्मिक विभाग से अनुमति प्राप्त करते हुए आउटसोर्स हेतु श्रम विभाग द्वारा संशोधित दरों के आधार पर निविदा प्रपत्र तैयार कर पुनः निविदा आमंत्रित की जाए।
3. विषय क्रमांक–06 पर बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि राज्य प्राधिकरण में संविदा के आधार पर तैनात कार्मिकों की निरन्तरता बनाये रखने हेतु कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–111(1)/XXX(2)/2018–30 (12)/2018, दिनांक 27 अप्रैल, 2018 के क्रम में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए

तदनुसार शासन द्वारा यथाआवश्यकता कैबिनेट का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए प्रकरण पर दिशा–निर्देश जारी किये जा सके।

4. विषय क्रमांक–07 पर बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण पर मुख्य प्रशासक, उडा/सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सम्यक परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जायेगा।
5. विषय क्रमांक–09 पर बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि आउटसोर्स के माध्यम से जनसम्पर्क अधिकारी की तैनाती किये जाने हेतु कार्मिक विभाग से अनुमति प्राप्त करते हुए अधिप्राप्ति नियमों के अधीन प्रस्ताव आमंत्रित कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।
6. अनुपूरक विषय क्रमांक–01 पर बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि पार्किंग से सम्बन्धित समस्त घोषणाओं को क्रियान्वयन करने हेतु स्टिल्ट पार्किंग का प्राविधान किया जाए एवं पार्किंग निर्माण हेतु केन्द्र सरकार की संस्थाओं को चयनित किया जाए।

उपरोक्त निर्णय के उपरान्त 12वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा पर विचार–विमर्श किया गया और निम्नवत् निर्णय लिये गयेः–

क्रमांक–01

विषय– वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्यय के विवरण के सम्बन्ध में।

निर्णय– वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्यय के प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

क्रमांक–02

विषय– अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय– विकास प्राधिकरणों में रिक्त विभिन्न संवर्ग के अभियन्ताओं के पदों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती किये जाने हेतु पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित कराते हुए कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के आवेदन की अग्रिम प्रति राज्य प्राधिकरण को प्रेषित की जा सकती है किन्तु यह प्रतिबन्ध रखा जाए कि मूल विभाग के विभागाध्यक्ष से अनापत्ति एवं संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु पात्रता होगी। इस सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त होने पर मुख्य प्रशासक, उडा की ओर से आवेदनकर्ता अभ्यर्थियों के विभागाध्यक्षों से भी अनापत्ति हेतु अनुरोध कर लिया जाए एवं अभियन्तागणों के साक्षात्कार लिये जाने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जायः–

अवर अभियन्ताओं का साक्षात्कार	सहायक अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं का साक्षात्कार	अधीक्षण अभियन्ताओं का साक्षात्कार
मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता एवं संयुक्त मुख्य प्रशासक	मुख्य अभियन्ता, संयुक्त मुख्य प्रशासक एवं अपर मुख्य प्रशासक

क्रमांक–03

विषय– रूद्रपुर आवासीय योजना की प्रगति के सम्बन्ध में।

निर्णय– बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पूर्व में प्राप्त प्रस्तावों को निरस्त कर दिया जाए। प्रश्नगत कार्य जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर के कार्यक्षेत्र रूद्रपुर में स्थित होने

के फलस्वरूप प्रभावी नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही किये जाने हेतु योजना जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर को स्थानान्तरित कर दी जाए। तत्काल प्रक्रिया पूर्ण कर उडा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

क्रमांक–04

विषय– मानचित्र स्वीकृति हेतु विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्राप्त करने हेतु एकरूपता लाये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय– बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि भवन मानचित्र स्वीकृति/अवैध निर्माणों के शमन हेतु गुणदोष के आधार पर ही अन्य विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जाए, जिससे जनसामान्य को अनावश्यक रूप से कठिनाई का सामना न करना पडे।

क्रमांक–05

विषय– मास्टर प्लान में प्रदर्शित ट्रक टर्मिनल भू–उपयोग के सम्बन्ध में।

निर्णय– बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रकरण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित होने के कारण एम0डी0डी0ए0 तथा सीडा का अभिमत प्राप्त किया जाए तथा अभिमत प्राप्त होने के उपरान्त सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए।

क्रमांक–06

विषय– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित विकास क्षेत्र से बाह्य क्षेत्र में नियत्रककारी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

निर्णय– प्रकरण नीतिगत होने के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रकरण नीति निर्धारण हेतु शासन को सन्दर्भित किया जाए।

क्रमांक–07

विषय– महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क का निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

निर्णय– प्रकरण नीतिगत होने के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रकरण नीति निर्धारण हेतु शासन को सन्दर्भित किया जाए।

(आलोक कुमार पाण्डेय)
संयुक्त मुख्य प्रशासक

संख्या– 640 /उडा–24(3)/बोर्ड बैठक/2014, दिनांक– 27.09.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, आवास/मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
2. सचिव/प्रभारी सचिव, आवास/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन/प्रमुख सचिव/सचिव, वन/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन/प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग/वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
3. गार्ड फाईल।

(आलोक कुमार पाण्डेय)
संयुक्त मुख्य प्रशासक